

# कार्यालय मुख्य नगर लेखा परीक्षक, नगर निगम गाजियाबाद

पत्रांक :-...../मु0न0ले0परी0/2020-21

दिनांक :-.....

## पुनरीक्षित बजट समीक्षा 2019-2020

(आय व्यय एक नजर में)

| क्र० सं० | मद               | 2018-19 वास्तविक | 2019-2020 वास्तविक (जनवरी-2020) | 2019-2020 पुनरीक्षित/प्रस्तावित |
|----------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1        | 2                | 3                | 4                               | 5                               |
| 1        | प्रारम्भिक अवशेष | 3202369509       | 3491765462                      | 3491765462                      |
| 2        | आय               | 4381018844       | 3946343359                      | 7236250000                      |
| 3        | योग:-            | 75833883353      | 7438108821                      | 10728015462                     |
| 4        | व्यय             | 4091622891       | 3923935725                      | 9525560000                      |
| 5        | अंतिम अवशेष      | 3491765462       | 3514173096                      | 1202455462                      |

## पुनरीक्षित बजट 2019-2020 में अंकित आय की कतिपय मदों की समीक्षा

| क्र०सं० | मद पुनरीक्षित बजटानुसार | 2018-2019 (वास्तविक) | वर्ष 2019-20 में प्रथम दस माह (जनवरी-2020) तक वास्तविक | वर्ष 2019-2020 (प्रस्तावित) | वर्ष 2019-2020 पुनरीक्षित/प्रस्तावित |
|---------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1       | गृहकर                   | 56,16,12,639         | 43,80,04,095                                           | 75,00,00,000                | 75,00,00,000                         |
| 2       | जलकर                    | 39,11,57,368         | 31,39,28,288                                           | 45,00,00,000                | 45,00,00,000                         |
| 3       | सीवर कर                 | 19,37,48,049         | 15,28,00,041                                           | 25,00,00,000                | 25,00,00,000                         |
| 4       | विज्ञापन कर             | 3,49,81,614          | 3,86,75,769                                            | 10,00,00,000                | 10,00,00,000                         |
| 5       | सामान्य लाईसेंस         | 1,13,68,863          | 80,45,359                                              | 1,50,00,000                 | 1,50,00,000                          |
| 6       | स्वास्थ्य लाईसेंस       | 79,502               | 8,38,150                                               | 15,00,000                   | 15,00,000                            |
| 7       | दुकान प्रीमियम          | 0                    | 0                                                      | 40,00,000                   | 40,00,000                            |
| 8       | तरणताल                  | 0                    | 0                                                      | 60,00,000                   | 60,00,000                            |
| 9       | पार्किंग                | 2,24,33,613          | 1,14,41,693                                            | 5,00,00,000                 | 5,00,00,000                          |
| 10      | मलबा शुल्क (जी०डी०ए०)   | 0                    | 0                                                      | 50,00,000                   | 50,00,000                            |
| 11      | युजर चार्जिज            | 27,93,925            | 1,26,52,719                                            | 10,00,00,000                | 10,00,00,000                         |
| 12      | राज्य वित्त आयोग        | 2,01,40,70,750       | 1,91,57,17,058                                         | 2,00,00,00,000              | 2,30,00,00,000                       |

1. नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का कोई विवरण बजट में नहीं था, मात्र आय एवं व्यय का अनुमानित विवरण अंकित किया गया था। यह उचित नहीं है। नियमानुसार नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण बजट के साथ बनाया जाना चाहिए। इसे शीघ्र बनाकर प्रस्तुत किया जाए।

आय की विभिन्न मदों को बिना किसी औचित्य के अंकित किया गया था इससे यह काल्पानिक प्रतीत होता है। कतिपय उदाहरण निम्नलिखित हैं—

1. वर्ष 2019-2020 में गृहकर मद में 75 करोड़ का प्रावधान किया गया था। पुनरीक्षित बजटानुसार जनवरी 2020 माह तक 43 करोड़ 80 लाख की वसूली की गई थी। मात्र दो माह में क्या हम लक्ष्य प्राप्त कर पायेंगे? जबकि वर्ष 2018-19 में मात्र 56 करोड़ रुपये ही वसूल किये गये थे। स्थिति स्पष्ट की जाए।
2. बजट 2019-20 में जलकर मद में रुपये 45,00,00,000 का प्रावधान किया गया था। पुनरीक्षित बजटानुसार जनवरी 2020 माह तक रुपये 31,39,28,288 की वसूली की गई थी। स्पष्ट किया जाए कि मात्र 2 माह में क्या प्रस्तावित लक्ष्य रु० 45,00,00,000 प्राप्त किया जा सकता है? जबकि वर्ष 2018-2019 में मात्र रु० 39,11,57,368 वसूल किये गये थे।
3. बजट 2019-20 में सीवरकर मद में रु० 25,00,00,000 का प्रावधान प्रस्तावित था जबकि 10 माह में जनवरी 2020 तक रु० 15,28,00,041 ही वसूल हो पाए। मात्र दो माह में क्या हम लक्ष्य रु० 25,00,00,000 प्राप्त कर पायेंगे? स्थिति स्पष्ट की जाए।
4. विज्ञापन कर से प्राप्त आय बजट 2019-2020 में रु० 10,00,00,000 प्रस्तावित थी तथा 10 माह में जनवरी 2020 तक रु० 3,86,75,769 वसूल किये गये। स्पष्ट किया जाए कि क्या प्रस्तावित लक्ष्य रु० 10,00,00,000 मात्र दो माह में प्राप्त किया जा सकता है? जबकि इस लक्ष्य हेतु मासिक औसत वसूली लगभग रु० 83,00,000 है।
5. पुनरीक्षित/प्रस्तावित बजट में सामान्य लाइसेंस मद हेतु रु० 1,50,00,000 का प्रावधान लक्षित था तथा माह जनवरी 2020 तक लक्ष्य का केवल 54 प्रतिशत ही प्राप्त हो सका। स्पष्ट किया जाए कि शेष दो माह में लक्ष्य का शेष 46 प्रतिशत किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? जबकि औसत मासिक वसूली रु० 12,50,000 (8.33 प्रतिशत) हैं।
6. प्रस्तावित/पुनरीक्षित बजट 2019-2020 में स्वास्थ्य लाइसेंस मद में प्रावधान रु० 15,00,000 का था। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मासिक औसत रु० 1,25,000 की वसूली आवश्यक है। जनवरी 2020 तक 10 माह में मात्र रु० 8,38,150 वसूली हो पाई है। अतः स्पष्ट किया जाए कि शेष दो माह में क्या हम लक्ष्य को प्राप्त कर पायेंगे जबकि मासिक वसूली 1,25,000 का दोगुना रु० 2,50,000 सम्भावित है।



7. दुकान प्रीमियम में 40 लाख का प्रावाधान किया गया है। स्पष्ट किया जाए कितनी दुकान विक्रय हेतु निर्धारित की गई है उसका विवरण प्रस्तुत किया जाए अन्यथा 40 लाख का प्रीमियम निर्धारित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।
8. वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में तरणताल के किराये से ₹0 60,00,000 आय प्रस्तावित की गई थी जिसके सापेक्ष 10 माह में जनवरी 2020 तक शून्य आय प्राप्त हुई। बजट में दर्शाया गया है कि वर्ष 2018-2019 में भी तरणताल मद से कोई आय प्राप्त नहीं हुई थी। स्पष्ट किया जाए कि नगर निगम में कुल कितने तरणताल हैं? क्या वे संचालित नहीं हैं? इनको नियमानुसार संचालित किया जाए ताकि नगर निगम कोष में वृद्धि हो।
9. वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में पार्किंग से ₹0 5,00,00,000 आय प्रस्तावित थी जबकि जनवरी 2020 तक 10 माह में ₹0 1,14,41,693 ही वसूल हो पाए। स्पष्ट किया जाए कि नगर निगम क्षेत्र में कुल कितने पार्किंग स्थल हैं? उनमें से कितने ठेके पर दिए गए हैं और कितने नहीं दिये गए? उन्हें ठेके पर न दिए जाने का कारण स्पष्ट किया जाए। नियमानुसार ठेके प्रदान किये जाएं। ताकि नगर निगम की आय में वृद्धि हो।
10. वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट में मलबा शुल्क (जी0डी0ए0) मद में ₹0 50,00,000 की आय प्रस्तावित दर्शायी गई है। बजट के अनुसार जनवरी 2020 तक 10 माह में शून्य आय प्राप्त हुई तथा वर्ष 2018-2019 के बजट में भी इस मद से कोई आय प्राप्त नहीं हुई थी। स्पष्ट किया जाए कि क्या हम शेष 02 माह में पुनरीक्षित/प्रस्तावित वसूली ₹0 50,00,000 कर पायेंगे।
11. वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट में यूजर चार्जिज मद में ₹0 10,00,00,000 प्रस्तावित थे तथा जनवरी 2020 तक 10 माह में ₹0 1,26,52,719 ही प्राप्त हो पाये। इतनी कम वसूली क्यों हुई कारण स्पष्ट किया जाए। नगर निगम के विभिन्न विभागों के अतिरिक्त कर्मचारियों को यूजर चार्जिज की वसूली पर लगाया जाय अथवा इसकी वसूली हेतु ई-टेन्डर कर ठेका एजेंसियों को प्रदान किया जाए ताकि नगर निगम को उचित धनराशि प्राप्त हो सके।
12. राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान को अनियमित रूप से बजट में अधिक दर्शाया गया। जनवरी 2020 तक 10 माह में ₹0 1,91,57,17,058 राज्य वित्त आयोग से वास्तविक अनुदान प्राप्त हुआ था तथा बजट 2019-2020 में प्रस्तावित ₹0 2,00,00,00,000 था इसके बावजूद भी पुनरीक्षित बजट में 2,30,00,00,000 दर्शाया गया है। इसका आधार स्पष्ट किया जाए।

**पुनरीक्षित बजट 2019-2020 में अंकित व्यय (सार्वजनिक निर्माण विभाग)**

| क्र० सं० | मद पुनरीक्षित बजटानुसार                                     | 2018-2019 (वास्तविक) | वर्ष 2019-2020 में प्रथम 10 माह (जनवरी 2020 तक (वास्तविक)) | वर्ष 2019-2020 (प्रस्तावित) | वर्ष 2019-2020 पुनरीक्षित / प्रस्तावित |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1        | गत वर्ष में कराये गये निगम फंड के अनुरक्षण कार्यों के अवशेष | 22,87,95,112         | 49,40,32,242                                               | 60,00,00,000                | 80,00,00,000                           |
| 2        | वार्डों के अनुरक्षण कार्य एवं मार्ग एवं सड़क निर्माण कार्य  | 31,18,94,653         | 5,16,04,525                                                | 72,00,00,000                | 80,00,00,000                           |

1. गतवर्ष में कराये गये निगम फंड के अनुरक्षण कार्यों के अवशेष का भुगतान— सार्वजनिक निर्माण विभाग में वर्ष 2019-2020 के इस मद में रू० 60,00,00,000 का बजट प्रावधान था। बिना किसी विवरण अंकित किये स्पष्ट किया जाये। कि किस आधार पर मार्च 2019 तक का बकाया रू० 60,00,00,000 था तथा किस आधार पर मार्च 2019-2020 तक का ही बकाया रू० 80,00,00,000 था। इस प्रकार रू० 20,00,00,000 किस आधार पर बढ़ाया गया है। स्पष्ट किया जाए।
2. वार्डों के अनुरक्षण कार्य एवं मार्ग एवं सड़क अनुरक्षण कार्य में वर्ष 2018-2019 में मात्र रू० 31,18,94,653 ही व्यय हुआ था वर्ष 2019-2020 में जनवरी 2020 तक मात्र रू० 5,16,04,525 ही व्यय किया गया था। वर्ष 2019-2020 के प्रस्तावित बजट में रू० 72,00,00,000 का प्रावधान था। मात्र 2 माह में किस आधार पर 80,00,00,000 पुनरीक्षित प्रावधान किया गया।
3. अग्रिम रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया गया था इससे असमायोजित अग्रिमों की स्थिति अस्पष्ट रही। इसे प्रस्तुत करके असमायोजित अग्रिमों का सत्यापन कराया जाए।
4. सम्परीक्षा में बार बार मांग किये जाने पर भी रोकड़बही एवं आय व्यय के सत्यापनार्थ कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसे प्रस्तुत किया जाए जिससे आय व्यय का मिलान किया जा सके।
5. रोकड़बही के मासान्त के अवशेष के सत्यापनार्थ बैंको की पासबुक प्रस्तुत की जाए जिससे अवशेष का मिलान किया सके।
6. प्रत्येक माह के अन्त में बैंक समाधान विवरण बनाकर प्रस्तुत किया जाए।
7. स्थायी अग्रिम का विवरण (यदि हो) प्रस्तुत करके सत्यापन कराया जाए।